बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष

~~वैद्यनाथ प्रसाद~~

(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सहादत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

दिनांक 10-11-04

पत्र संख्या 32

ज्ञापन

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीया मुख्यमंत्री को संघ के निम्नांकित कठिनाईयों एवं मार्गो की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है :-

1. बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रथम सेवा है । पूर्व में बिहार असैनिक सेवा की दो उप शाखाएं थी - कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शाखा । दोनों शाखाओं को राज्य सरकार से समान वेतनमान प्राप्त था । न्यायपालिका शाखा को अब न्यायिक सेवा के नाम से जाना जाता है, के लिए 9,000-14,500 रू0 का वेतनमान दिया गया है । यहां तक विश्वविद्यालय के व्याखाताओं को भी 8,000-13,500 का वेतनमान प्राप्त है । परन्तु कार्यपालिका शाखा जो अब बिहार प्रशासनिका सेवा है, के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 8,000-13,500 का वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है । अभी भी इस सेवा को 6,500-10,500 के वेतनमान में रखा गया है । ज्ञातव्य हो कि 8,000-13,500 का वेतनमान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, हरियाणा एवं अन्य कई राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्राप्त हो चुका है । बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 2,200-4,000 का वेतनमान प्राप्त था, जिसका सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान 8,000-13,500 है ।

अतः संघ यह मांग करती है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों का वेतनमान 8,000-13,500 सरकार तुरन्त स्वीकृत करें ।

2. केन्द्रीय वेतनमान सहित कुछ अन्य लाभ राज्य कर्मियें एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्राप्त है । परन्तु फिटमेंट समिति के अनुशंसा के अनुरूप राज्य सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से 60 वर्ष नहीं की गयी है । जबकि झारखंड सहित बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में सेवानिवृति की आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गयी है ।

इसी प्रकार झारखंड सहित अन्य राज्यों में मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार के अनुरूप जोड़ (Merge) दिया गया है परन्तु बिहार में इसकी स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

विदित हो कि बिहार-झारखंड के कई सेवा के पदाधिकारियों का कैडर विभाजन लम्बित है । कैडर विभाजन के बाद झारखंड से बिहार योगदान करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सामने उम्र सीमा 58-60 वर्ष बिना बढ़ाए और वेतनमान में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बिना जोड़े कई विसंगतियों को पैदा करेगा ।

अतः संघ यह मांग करती है कि सेवानिवृति की उम्र सीमा 58-60 वर्ष बढ़ाने एवं मूल वेतन में 50 प्रतिशत जोड़ने (Merge) करने सम्बन्धित आदेश सरकार तुरन्त निर्गत करें ।

[signature] 10/11/04

विपिन कुमार सिन्हा
महासचिव

[signature] 10-11-04

कृष्ण मुरारी शर्मा
कार्यकारी अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष
वैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

दिनांक

पत्र संख्या

प्रतिलिपि :- माननीया मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार सरकार/वित्त आयुक्त, बिहार सरकार/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विपिन कुमार सिन्हा
महासचिव ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, दूरदर्शन/ऑल इन्डिया रेडियो को प्रसारणार्थ प्रेषित ।

विपिन कुमार सिन्हा
महासचिव ।

प्रतिलिपि :- सभी दैनिक समाचार पत्र के सम्पादक एवं न्यूज एजेन्सी को प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

विपिन कुमार सिन्हा
महासचिव ।